छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्रमांक /5406/ राजस्व / भू.अ. / स्वा.यो. / 2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9/12/2022

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),
(भू–अभिलेख शाखा)
जिला............................
छत्तीसगढ़

विषय :– **नामांतरण / खाता विभाजन के आवेदनों को बिना नामांतरण पंजी में दर्ज किये, आदेश पारित किये गये प्रकरणों में अभिलेख दुरूस्ती के संबंध में।**

——000——

विषयांतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान अनुसार नामांतरण / खाता विभाजन से संबंधित आवेदन सर्वप्रथम नामांतरण पंजी में दर्ज कर अविवादित प्रकरणों का निराकरण नामांतरण पंजी में करने तथा प्रकरण के विवादित श्रेणी की स्थिति में ही ई–कोर्ट में दर्ज करने का प्रावधान है।

भू–राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार भुईयां / ई–कोर्ट सॉफ्टवेयर को डिजाईन किया गया है। विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि पीठासीन अधिकारियों के द्वारा भू–राजस्व संहिता के उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करते हुए नामांतरण पंजी में प्रकरण दर्ज किये बिना सीधे आदेश पारित किया गया है एवं ऐसे आदेशों के परिपालन में रिकॉर्ड दुरूस्ती में समस्या आ रही है।

नामांतरण / खाता विभाजन के आवेदनों को बिना नामांतरण पंजी में दर्ज किये, आदेश पारित किये गये प्रकरणों में अभिलेख दुरूस्ती के भी प्रावधान भुईयां सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हैं। ऐसे प्रकरणों में रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु प्रकरणों को सर्वप्रथम ई–नामांतरण पंजी में दर्ज किया जावे। प्रकरण को ई–नामांतरण पंजी में दर्ज करने उपरांत सॉफ्टवेयर में "पूर्व में आदेश पारित" का विकल्प चुनकर ऐसे प्रकरणों में अभिलेख दुरूस्ती संपादित किया जा सकता है।

अतः पैरा–3 में वर्णित प्रक्रिया का पालन कर ऐसे आवेदन जिन्हें नामांतरण पंजी में दर्ज किये बिना सीधे न्यायालय में दर्जकर आदेश जारी किये गये हैं, से संबंधित आदेश के परिपालन में अभिलेख दुरूस्ती संपादित करना सुनिश्चित करावें।

09/12/22
सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

D:\Survey New

AnyScanner

पृ.क./5407/राजस्व/भू.अ./स्वा.यो./2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 9/12/2022

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागायुक्त, संभाग................................, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय क्षेत्रीय उप आयुक्त (भू–अभिलेख) रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर

AnyScanner